राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12572/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
दिनेश जैन मुकाम पोस्ट रैणी, अलवर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनिल कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-5-17 के द्वारा अपीलार्थी की पूर्व प्रेषित 6 शिकायतें जो कि मार्च, 2016 से अप्रेल, 2017 के मध्य प्रेषित की गई थी, पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित शिकायतें विभागीय रिकॉर्ड में होना नहीं पाई गई है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 11-8-17 द्वारा संसूचित कर दिया गया था। तदुनसार प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 4-10-17 से खारिज कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 24-1-18 मय संलग्नक प्रेषित कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी के उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित शिकायतों का प्रत्यर्थी कार्यालय में आना नहीं पाये जाने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के आवेदन के अनुक्रम में प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है।

8. अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त